

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—29/2023 (2023/82) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. घीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कंकु पत्नि रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशननाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिठुनाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्रेमनाथ पिता जोधनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगुनाथ पिता जोधनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सोसी पत्नि गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भैरुनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रतननाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पप्पुनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सोहनी पत्नि शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नाथु पिता हजारीनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित


1. पूनमनाथ सपेरा —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 04.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 817/726 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 821/742 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 827/744 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 838/82 रकबा 0.17 है0 आराजी संख्या 86 रकबा 0.12 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.91 है0 व आराजी संख्या 255 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 85 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 240 व 49 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगट्टा आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2023 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे



Handwritten signature

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 12 व 13 की अदम तामिल प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थी खातेदार हैं और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 817/726 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 821/742 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 827/744 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 838/82 रकबा 0.17 है0 आराजी संख्या 86 रकबा 0.12 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.91 है0 व आराजी संख्या 255 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 85 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 240 व 49 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-29 /2023 (2023 / 82) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. धीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- कंकु पतिन रामनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- किशननाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भवंरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- मिठुनाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- प्रेमनाथ पिता जोधनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- माणुनाथ पिता जोधनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- साँसी पतिन गोकलनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भैरुनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- रतननाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- पपुनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- सोहनी पतिन शंकरनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- नाथु पिता हजारीनाथ जोगी निवासी मिथाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियत की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मिथाला पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 817 /726 रकबा 0.46 है0. आराजी संख्या 821 /742 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 827 /744 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 838 /82 रकबा 0.17 है0 आराजी संख्या 86 रकबा 0.12 है0 कुल कितना 6 कुल रकबा 1.91 है0 व आराजी संख्या 255 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 85 रकबा 0.21 है0 कुल कितना 3 कुल रकबा 0.39 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 240 व 49 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500 /-रूपये राजकोष में जमा एवं कम्पिशनर फीस 1000 /-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामत्तात पक्षकारान के करायी जावें।

मीके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियत पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट नय पर्चा मीका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

किया गया।


नेहा छीपा
उपखण्ड अधिकारी

राजधानी रायपुर जिला भीलवाड़ा
विपक्षीगण

